न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसिल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
36 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	17.04.2015	04.07.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–विक्रेता श्री पंकज जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन जाति महाजन निवासी महिला बाग गर्ल्स स्कूल के पास निवाई जिला टोंक मैसर्स प्रेम चन्द पवन कुमार बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक
2–श्री प्रेम चन्द जैन पुत्र श्री चन्दा लाल जैन प्रोपराइटर मैसर्स प्रेम चन्द पवन कुमार बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक
3–मैसर्स प्रेम चन्द पवन कुमार बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक
4–श्री नरेन्द्र कुमार जैन प्रोपराईटर मैसर्स जे.के. एजेन्सीज दुकान नं. 2 गोदाम वालों की गली सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक
5–मैसर्स जे.के. एजेन्सीज दुकान नं. 2 गोदाम वालों की गली सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक
6–श्री नवीन कालरा पुत्र श्री धर्मपाल कालरा प्लाट नं. 617, क्रॉस माल रोड, सेन्ट्र स्पाईन विद्याधर नगर जयपुर प्रोपराइटर मैसर्स सिद्वार्थ, सेल्स बी, 27, सेन्ट्रल टावर सेन्ट्र स्पाईन विद्याधर नगर जयपुर
7–मैसर्स सिद्वार्थ, सेल्स बी, 27, सेन्ट्रल टावर सेन्ट्र स्पाईन विद्याधर नगर जयपुर
8–प्रोपराईटर मैसर्स गोडरीच कार्बोहाईड्रेटस लिमिटेड ग्राम नागला मेरठ रोड करनाल, करनाल (हरियाणा) रजिस्ट्रर्ड कार्यालय 203–204, विकास टावर, प्लाट नं. 6, सेक्टर–8 रोहिनी, नॉर्थ देहली, 110085

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 04.07 2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.05.2013 को समय 02:00 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स प्रेम चन्द पवन कुमार बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर श्री पंकज जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य पदार्थ का विक्रय करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पंकज जैन ने प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक श्री प्रेमचन्द जैन को होना बताया तथा तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में 24 पैकेट 500 ग्राम पैक के **स्कीम्ड मिल्क पावडर विद एडिटिव (इन्सटेन्ट टी कॉफी कीमीयर–प्रोपराईटरी फूड)** दुकान की रैक में रखे हुए थे जिसे देखने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री पंकज जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री पंकज जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **स्कीम्ड मिल्क पावडर विद एडिटिव (इन्सटेन्ट टी कॉफी कीमीयर–प्रोपराईटरी फूड)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, 500–500 ग्राम के चार पैकेट खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **स्कीम्ड मिल्क पावडर विद एडिटिव (इन्सटेन्ट टी कॉफी कीमीयर–प्रोपराईटरी फूड)** के 4 पैकेट के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये एवं लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–499 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–499 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री पंकज जैन ने मौके पर मैसर्स जे.के. एजेन्सीज दुकान नं. 2 गोदाम वालों की गली सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जिसे पत्र प्रेषित करने के बाद उपरोक्त स्कीम्ड मिल्क पावडर मैसर्स सिद्वार्थ, सेल्स बी, 27, सेन्ट्रल टावर सेन्ट्र स्पाईन विद्याधर नगर जयपुर से खरीद करने का बताते हुए वारन्टी बिल प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा मैसर्स सिद्वार्थ, सेल्स बी, 27, सेन्ट्रल टावर सेन्ट्र स्पाईन विद्याधर नगर जयपुर को पत्र प्रेषित करने पर इस फर्म ने उपरोक्त मिल्क पावडर मैसर्स गोडरीच कार्बोहाईड्रेटस लिमिटेड ग्राम नागला मेरठ रोड करनाल, करनाल (हरियाणा) से खरीद करना बताया हैं जो इसके निर्माण एवं पैकिंग के लिए जिम्मेदार हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./13/2350 दिनांक 01.07.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

मुख्य खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/854/एक्ट/2013/563 दिनांक 10.06.2013 के अनुसार विक्रेता श्री पंकज जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **स्कीम्ड मिल्क पावडर विद एडिटिव (इन्सटेन्ट टी कॉफी कीमीयर–प्रोपराईटरी फूड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **स्कीम्ड मिल्क पावडर विद एडिटिव (इन्सटेन्ट टी कॉफी कीमीयर–प्रोपराईटरी फूड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की दण्डनीय धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की ओर से दिनांक 09.07.2015 को श्री राजेन्द्र जाट एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने हेतु अण्डरटेकिंग दी एवं वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु 44 अवसर देने के बावजूद भी वकालतनामा पेश नहीं किया हैं। अप्रार्थी 1 ता 5 अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 6 ता 8 की ओर से दिनांक 12.02.2016 को श्री राजेन्द्र जाट एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश समय चाहा तथा कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। इससे प्रतीत होता हैं कि अभिभाषक अप्रार्थीगण अपने पक्ष में कोई जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **स्कीम्ड मिल्क पावडर विद एडिटिव (इन्सटेन्ट टी कॉफी कीमीयर–प्रोपराईटरी फूड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **स्कीम्ड मिल्क पावडर विद एडिटिव (इन्सटेन्ट टी कॉफी कीमीयर–प्रोपराईटरी फूड)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 ता 3 पर कुल शास्ति रूपये 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रू0), अप्रार्थी सं. 4 व 5 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रू.), अप्रार्थी सं. 6 व 7 पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 8 पर शास्ति रूपये 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 04.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0